



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 1617 सन् 2026

विद्या सागर शर्मा @ शैलेश

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 23 अन्य

.....उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अमित कुमार राय

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : संतोष कुमार उपाध्याय, विनोद कुमार उपाध्याय,
भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी है:-

"(i) उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 08.10.25 और उत्तरदाता संख्या 4 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 14.11.23 के आक्षेपित आदेश (इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 और 2 क्रमशः) को रद्द किया जा सके।"

3. उपरोक्त आदेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अधीन याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में पारित किए गए थे।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 24 के साथ-साथ संहिता, 2006 की धारा 24(4) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अधीन प्रदान किए गए अधिकारियों से संपर्क करने का एक उपाय उपलब्ध है।

5. इस तथ्य पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने भी विवाद नहीं किया है।

6. इस मामले में इस दृष्टिकोण को देखते हुए, चुनौती के अधीन आदेशों में हस्तक्षेप किए बिना, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है ताकि याचिकाकर्ता को संहिता, 2006 की धारा 210 के अनुसार उचित आवेदन करने की अनुमति मिल सके। यदि याचिकाकर्ता द्वारा आज से तीन सप्ताह के भीतर ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर शीघ्रता से और सकारात्मक रूप से अगले तीन महीनों के भीतर निर्णय लिया जाता चाहिए।

7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

8. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उस आदेश की प्रमाणित प्रति, उसकी छाया प्रति अभिलेख पर रखने के बाद वापस करे, जिसे वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,)

फ़रवरी 12, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"